न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –27/2017 जिला सीकर

1. फूल चन्द पुत्र गिरधारी
2. लालचन्द पुत्र पूरण मल
   जातियान माली, निवासी रूपावास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 11.2.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बंशीधर जाट
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक – 5.3.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 11.2.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने अपनी रिपोर्ट में ग्रम रूपावास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 168/1 एवं 175 से होकर रास्ता जाने एवं नक्शे में डोटेड लाल स्याही से दर्शाये जाने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानों के अनुसार रास्ते का अंकन किये जाने की सिफारिश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.2.2017 द्वारा राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेश में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये ।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त आदेश दिनांक 11.2.2017 के खिलाफ अपलान्ट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 11.2.17 खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया ।

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । पटवारी हल्का ने दिनांक 24.1.17 को जो मौका रिपोर्ट तैयार की है वह किसी भी न्यायालय व उच्चाधिकारियों के आदेश से नहीं कर केवल राजनैतिक द्वेषता के कारण मनमर्जी से रिपोर्ट तैयार की है, जो मौके के विपरीत है । अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 168/1 पर कभी भी रास्ता नहीं रहा न ही उक्त रास्ता कभी चालू था । यदि किसी व्यक्ति को रास्ते की जरूरत होती तो उसके द्वारा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत मावण्डा द्वारा उक्त खसरा नम्बर में रास्ता निकलवाने का प्रस्ताव लिया था जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की शिकायत पर पंचायत समिति नीमकाथाना ने निर्णय पारित कर ग्रम पंचायत को पुनः आदेश दिये गये थे कि खसरा नम्बर 1939 जिसके हाल खसरा नम्बर 175 तथा खसरा नम्बर 1942 जिसके हाल खसरा नम्बर 169 एवं 1940/1 जिसके हाल खसरा नम्बर 168/1 की सीमा के दानों ओर भूमि शामिल करते हुये रास्ता

निकाला जावे , जिसकी पालना तहसीलदार द्वारा नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक विवेचन के अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । ग्रम पंचायत द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता निकलवाने बाबत लिये गये प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है तथा खसरा नम्बर 1940/1 , 1942 व 1939/5 की भूमि को शामिल करते हुये दोनों तरफ से बराबर बराबर भूमियॉ लेकर रास्ता निकालने पर निर्णय लिया गया है जिसकी कोई अपील नहीं हुई है । उनका कहना था कि विवादित भूमि में से रास्ता कायम कराने बाबत एक दावा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष बहादुर मल बनाम फूलचन्द सैनी विचाराधीन था जो आदेश दिनांक 3.6.2016 से खारिज हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की अभिशंषा के आधार पर पारित कर प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने से संबंधित है । तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर की रिपोर्ट कि ग्रम रूपावास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 168/1 एवं 175 से होकर रास्ता जाने एवं नक्शे में डोटेड लाल स्याही से दर्शाये जाने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानों के अनुसार रास्ते का अंकन किये जाने की सिफारिश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.2.2017 से राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेश में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को रास्ते के अंकन हेतु प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.2.2017 से राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेश में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये हैं, उचित एवं विधिसम्यक होने से उसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर